सं०सं०–17/एफ०–01–04/2013

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

61 (17) दिनांक 27.1.2016

प्रेषक,

शेखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

लेखा पदाधिकारी,
महालेखाकार, (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांकः– 27.01.2016

विषयः– स्वास्थ्य विभाग के अधीन राजकीय फार्मेसी संस्थान अगमकुआँ पटना के शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान तथा संस्थान के पदों एवं पदनामों को अभातशिप विनियम–2010 की संस्तुत संरचना में अंकित पदों एवं पदनामों के परिवर्तित करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक– जी०ई० 10–सा०–913, दिनांक 28.08.2015.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रंसगाधीन पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि राजकीय फार्मेसी संस्थान अगमकुआँ, पटना के शैक्षणिक पदाधिकारियों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा विनियम–2010 (AICTE Regulation-2010) द्वारा स्थापित मानदण्डों के अनुरुप योग्यताधारी शिक्षकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान संस्थान के पदो एवं पदनामों को अभातशिप विनियम–2010 की संस्तुत संरचना में अंकित पदों एवं पदनामों के अनुरुप परिवर्तित करने का निर्णय वित्त विभाग के संकल्प संख्या–6669/वि० दिनांक 27.07.2015 द्वारा सम्यक विचारोपरान्त किया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

क्र० सं०	वर्त्तमान स्वीकृत पदनाम	वर्त्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान		नया स्वीकृत पदनाम
			पे०बैण्ड	ए०जी०पी०	
1	व्याख्याता	PB-2+5400/-	15600-39100/-	6000/-	असिस्टेंट प्रोफेसर
2	सहायक प्राध्यापक	PB-3+6600/-	37400-67000/-	9000/-	एसोशियेट प्रोफेसर
3	प्राध्यापक (प्रोफेसर)	PB-3+6600/-	37400-67000/-	10000/-	प्रोफेसर
4	प्राचार्य	PB-3+7600/-	37400-67000/- +(3000/- प्रति माह विशेष भत्ता)	10000/-	प्रिंसिपल

वैसे शिक्षक जो अभातशिप विनियम–2010 के अनुसार पदों की योग्यता धारित नहीं करते, उनपर अभातशिप द्वारा अनुशंसित वेतनमान लागू नहीं होगा तथा निर्धारित अर्हता प्राप्त कर लेने तक वे फार्मेसी संस्थान में बने रहने के हकदार नहीं होंगे।

उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के संकल्प निर्गत की तिथि से लागू होगा, के निर्णय को संपुष्ट करते हुए स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

(शेखर चन्द्र वर्मा) 27/1/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–17/एफ०–01–04/2013 61(17) **पटना, दिनांक :–** 27.1.2016

प्रतिलिपि :– सरकार के सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा/सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

27/1/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–17/एफ०–01–04/2013 61(17) **पटना, दिनांक :–** 27.01.2016

प्रतिलिपि :– उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

27/1/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–17/एफ०–01–04/2013 61(17) **पटना, दिनांक :–** 27.01.2016

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् 7 वीं मंजिल, चन्द्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली–110001/निबंधक–सह–सचिव, फार्मेसी काऊंसिल ऑफ इण्डिया, टेम्पल लेन, कोटला रोड, ऐवाने–ए–गालिब मार्ग, नई दिल्ली–110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

27/1/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–17/एफ०–01–04/2013 61(17) **पटना, दिनांक :–** 27.01.2016

प्रतिलिपि :– कुल सचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना–800001/प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

27/1/16
सरकार के संयुक्त सचिव।